

॥ ७९ ॥
२५

भाज पत्रा. पेशा हुई। वादीगण व उनके वकील कोई
उपास्थित नहीं हैं। वादीगण व उनके वकील दोबारा-
बार आवाज लगवादि गई। परन्तु कोई उपास्थित
नहीं भाये। वादीगण व उनके वकील ही अदम
हाजरी व अदम पैरवी बखुबी साबित होती हैं।
वादीगण का यह वाद - पत्र अदम हाजरी व अदम
पैरवी में खारीज किया जाता है पत्रा. नम्बर से कम
होकर बाद आवश्यक पूर्ति काखिल दफ्तर ही।

सदर कलेक्टर
बादाय (लोपतला-बुधोवा)
गुजरात